न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 78/2009 (अपील)

उनवान

लाडकंवर पुत्री श्री शंकरलाल जी जाति कुम्हार निवासी ग्राम चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकाम–

1(1) नन्दकिशोर आत्मज श्री रामकल्याण जी जाति कुम्हार निवासी छत्रपुरा कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. प्रभूलाल उर्फ प्रहलाद आ0 शंकरलाल जी जाति कुम्हार मृतक जरिये कायम मुकामानः–
1/1. महावीर आ0 प्रभूलाल जी
1/2. जगदीश आ0 प्रभूलाल जी
1/3 गंगाबाई बेवा प्रभूलाल जी जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा
1/4. चन्द्रकला बाई पुत्री प्रभूलाल जी पत्नि महावीर जी जाति कुम्हार निवासी कुम्हार का मोहल्ला सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
1/5 गायत्री बाई पुत्री प्रभूलाल जी पत्नि रामचरण जी जाति कुम्हार निवासी कुम्हारो का मोहल्ला कापरेन तहसील के0पाटन जिला बूंदी
1/6. सावित्री बाई पुत्री प्रभूलाल जी पत्नि भगवान जी जाति कुम्हार निवासी केशवपुरा कोटा
2 रामविलास आ0 श्री किशनलाल जी जाति कुम्हार निवासी ग्राम चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री ओमप्रकाश प्रजापति (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट 1 की ओर से)
3. रेस्पोडेन्ट न03 अनुपस्थित

तहसीलदार दीगोद के आदेश दिनांक 9.05.2008 पर दर्ज इन्तकाल नम्बर 124 दिनांक 10.06.2008 की अप्रसन्नता से राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत अपील

अति. जिला कलक्टर
कोटा

निर्णय दिनांक : 24.07.2024

1 अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दीगोद के आदेश दिनांक 9.05.2008 पर दर्ज इन्तकाल नम्बर 124 दिनांक 10.06.2008 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट न0 1 की ओर अभिभाषक उपस्थित हुऐ। रेस्पोडेन्ट न02 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सूचना,नोटिस दिये बिना ही रेस्पोडेन्ट कम1 के नाम इन्तकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 1 के नाम मृतक बिरधीलाल आत्मज श्री शंकरलाल के नाम आवंटित भूमि ग्राम सदेडी तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित ख0न0 74 रकबा 1.47 हैक्टर भूमि को दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया। अपीलाण्ट के परिवार का सजरा निम्न प्रकार से है:–

शंकरलाल

लाडकंवर (अपी0)	प्रभूलाल (रेस्पो0न01)	किशनलाल (फोत)	मोडूलाल (फोत)	बिरधीलाल (फोत)

रामबिलास रेस्पो0 न02

मृतक बिरधीलाल अपीलाण्ट का भाई है तथा प्रथतः कानूनी उत्तराधिकारी है तथा भाई प्रहलाद के बराबर अपीलाण्ट अधिकार रखती है। सभी वारिसान को सूचना दिये बिना तथा नोटिस दिये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को फायदा पहुंचाने के ध्येय से मनमाना व एक पक्षीय आदेश प्रदान कर दिया। वसीयत के सम्बन्ध में सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। फिर भी अपंजीकृत वसीयत दिनांक 29.07.1998 जो फर्जी,कूटरचित व बनावटी होने के बाद भी अवैध रूप से इन्तकाल खोलने का आदेश समुचित जांच किये बिना ही पारित कर दिया। मृतक बिरधीलाल जी मृत्यु के समय अपीलाण्ट के पास ही निवास करते थे। मृतक बिरधीलाल ने अपनी ग्राम सदेडी स्थित भूमि की वसीयत दिनांक 18.12.1998 को नन्दकिशोर से अपीलाण्ट के पक्ष में लिखवाकर गवाह गणपतलाल,रामस्वरूप व प्रभूलाल की उपस्थिति में स्वंय का अंगूठा लगाकर तथा बिरधीलाल जी के कहने पर गवाहो ने हस्ताक्षर किये। इस प्रकार दिनांक 18.12.1998 को आलेख्ति वसीयत अन्तिम वसीयत होने से अपीलाण्ट बिरधीलाल की ग्राम सदेडी स्थिति भूमि को इस वसीयत से प्राप्त करने की अधिकारी है। मृतक

अति. जिला कलक्टर कोटा

बिरधीलाल जी की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट ग्राम सदेडी में स्थित भूमि में से 5 बीघा भूमि पर काबिज काश्त है, आज भी उक्त भूमि में से लगभग 5 बीघा भूमि पर अपीलाण्ट काबिज होकर काश्त कर रही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद में घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती व विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा चल रहा है। उसमे अधिकार तय होगे। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 9.05.2008 व इन्तकाल नम्बर 124 दिनांक 10.06.2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण को सुनवाई हेतु रिमाण्ड फरमाया जावे।

5 रेस्पोडेण्ट न01 की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर इतकाल दर्ज किया गया है। यदि वसीयत फर्जी है तो सिविल न्यायालय में जावे। जो इंतकाल दर्ज किया है वह सारी कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल खोला है। बिरधीलाल प्रभूलाल के बडे भाई थे। बिरधीलाल जी के कोई औलाद नहीं थी। बिरधीलाल जी प्रभूलाल जी के पास ही रहते थे। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। ।

6 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील आदेश दिनांक 10.06.2008 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 17.08.2009 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से पेश करने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी 4.06.2009 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने के बाद होना बताया है। विलम्ब से अपील पेश करने के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

7 वकील अपीलाण्ट का कथन रहा है कि मृतक बिरधीलाल आत्मज श्री शंकरलाल के नाम आवंटित भूमि ग्राम सदेडी तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित ख0न0 74 रकबा 1.47 हैक्टर भूमि को अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया। है। सभी वारिसान को सूचना दिये बिना तथा नोटिस दिये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश प्रदान कर दिया। वसीयत के सम्बन्ध में सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। फिर भी अपंजीकृत वसीयत दिनांक 29.07.1998 जो फर्जी,कूटरचित व बनावटी होने के बाद भी अवैध रूप से इन्तकाल खोलने का आदेश समुचित जांच किये बिना ही पारित कर दिया इसके विपरीत रेस्पोडंन्ट का कथन रहा है कि अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर इतकाल दर्ज किया गया है। यदि वसीयत फर्जी है तो सिविल न्यायालय में जावे। जो इंतकाल दर्ज किया है वह सारी कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल खोला गया। अतः तहसीलदार दीगोद ने अपंजीकृत वसीयत का विधिनुसार सुनवाई करने के उपरान्त ही सकारण आदेश (स्पीकिंग आर्डर) पारित

किया है, जिसमे हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपील में पर्याप्त आधार नहीं होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है।

8. परिणामस्वरूपः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

9 निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा